

फदे अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत सिकराय

सरकार बनाम सिकराय

किरम मुकदमा मु० नं० ५७/१९

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
२५/१२	जि. प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय को ५०० रु. का नुकसान होने का नोटिस देना। जज की रजिस्ट्रार बिना कोर्ट की नोटीस देना। तारीख २-१-२० को पत्र लिख	
७/१/२०	जार्जना वाजदारी न्यायाधीश में स्वीकार किया गया है। काका अजय मल्ल पर लिखा गया है पत्रवली फैसले सुनकर मल्ल से कर्मदार के मददा के इतिहास है। ३१/१/२०२० जज अजय मल्ल सिकराय जिला-पंजा	

